भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2248
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि रसायनों की आवश्यकता

2248. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कृषि रसायनों के बड़े स्टॉक की ज़रूरत है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में कीटनाशकों का पंजीकरण से जुड़े नियम बनाने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पंजीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि किसानों के पास अलग-अलग फसलें उगाने और कीड़ों, बीमारियों, खरपतवारों और रेजिस्टेंस की समस्याओं से निपटने के लिए कई तरह के विकल्प हों और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किसानों को कृषि रसायनों के बड़े स्टॉक की आवश्यकता है। कीटनाशकों का उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री, वितरण एवं उपयोग, कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके अंतर्गत बनाए गए कीटनाशक नियम, 1971 द्वारा विनियमित होता है, जिनका संचालन केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबी एण्ड आरसी) के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें कीटनाशकों की संरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता का उचित मूल्यांकन करने के बाद सीआईबी एण्ड आरसी उनकी जांच एवं उनका पंजीकरण करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसानों को सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध हों सके। आज की तारीख तक, कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत देश में उपयोग के लिए 368 तकनीकी और 1139 कीटनाशक फॉर्मूलेशन पंजीकृत हैं, जो किसानों को व्यापक विकल्प प्रदान करते हैं।

सीआईबी एंड आरसी ने किसानों को कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने हेतु कई पहलें की हैं। इनमें पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु त्वरित निर्णय लेने के लिए पंजीकरण समिति की समय पर बैठकें आयोजित करना, आवेदनों के प्रस्तुतीकरण और प्रसंस्करण के लिए डिजिटल प्रणालियों को अपनाना और वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर दिशानिर्देशों का निरंतर संशोधन करना शामिल है। ये पहलें, फसल संरक्षण हेतु सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशकों की व्यापक उपलब्धता में सहायक हैं।

किसानों को विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए कीटनाशक अधिनियम के तहत मौजूदा नियामक तंत्र देश में कीटनाशकों के मूल्यांकन और पंजीकरण हेतु एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक व्यवस्था प्रदान करता है।

*****